प्रेस नोट थाना रोजा
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 27.01.2026

"थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा, शुभम रेस्टोरेन्ट में फायरिंग करने की घटना का 24 घण्टे में अनावरण करते हुए, घटना कारित करने वाले दो अभियुक्तों को मय घटना में प्रयुक्त किये जाने वाले एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना रोजा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुए।

संक्षिप्त विवरणः-

वादी मुकदमा श्री ब्रजदीप आनन्द पुत्र अशोक कुमार निवासी मो0 ब्रजबिहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादी के शुभम रेस्टोरेन्ट पर आकर रंगदारी में 10000/- रुपये की मांग करना, मांग पूरी न होने पर जाति सूचक गाली गलौच करते हुए मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायर करने के आरोप अंकित करते हुए तहरीर दी गयी, प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 25.01.2026 को थाना रोजा पर मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT बनाम अभियुक्तगण 1.मंयक मिश्रा पुत्र नामालूम 2.पियूष मिश्रा पुत्र नामालूम 3.योगेश पुत्र नामालूम निवासीगण मो0 लोधीपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर 4.तीन चार साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना रोजा पुलिस की टीमें गठित की गयी जिनके द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर दबिश देकर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त कुलदीप उर्फ मयंक त्रिवेदी पुत्र उमेशचन्द्र त्रिवेदी निवासी मौहल्ला लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 38 वर्ष को दिनांक 27.01.2026 को अण्डरपास के पीछे रेलवे लाईन के पास से रोजा से समय 00.46 बजे से 00.53 बजे पर मय एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ सम्बन्धित मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 3/25 शस्त्र अधिनियम व अभियुक्त पीयूष त्रिवेदी पुत्र उमेशचन्द्र त्रिवेदी निवासी मौहल्ला लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष को मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर दिनांक 27.01.26 को समय 11.40 बजे पर जमुका दोराहा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 27 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. कुलदीप उर्फ मयंक त्रिवेदी पुत्र उमेशचन्द्र उम्र करीब 38 वर्ष त्रिवेदी निवासी मो0 लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
2. पीयूष त्रिवेदी पुत्र उमेशचन्द्र त्रिवेदी उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मौहल्ला लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

- अभि0 कुलदीप उर्फ मंयक उपरोक्त को दिनांक 27.01.2026 को अण्डरपास के पीछे रेलवे लाईन के पास से रोजा से समय 00.46 बजे से 00.53 बजे पर।
- अभियुक्त पीयूष उपरोक्त को दिनांक 27.01.2026 को समय 11.40 बजे पर जमुका दोराहा से।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कार0 अभि0 कुलदीप उर्फ मंयक उपरोक्त के कब्जे से
2. घटना से सम्बन्धित खोखा कारतूस 315 बोर अभि0 पीयूष उपरोक्त के कब्जे से ।

आपराधिक इतिहास (कुलदीप उर्फ मंयक) :-

- मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।
- मु0अ0सं0 546/25 धारा 115(2),117(2),125(ए),131,352 बीएनएस-2023 थाना रोजा शाहजहाँपुर।

आपराधिक इतिहास (पीयूष):-

- मु0अ0सं0 34/26 धारा 115(2),109(1),191(2),308(2),352,351(3) बीएनएस 2023 व 3(2)(v) SC/ST ACT व 3/25/27 शस्त्र अधि0 थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर।
- मु0अ0सं0 24/23 धारा 13 जुआ अधिनियम, थाना रोजा शाहजहाँपुर।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त कुलदीप उर्फ मयंक उपरोक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया दिनांक 25.01.2025 को लोधीपुर स्थित रेस्टोरेन्ट मे मेरा झगडा हो गया था जहाँ पर मेरा भाई पीयूष भी आ गया था जिसको मैने कहा था गोली चला तो पीयूष ने फायर कर दिया था फिर मैने उससे तमंचा मुझे देने को कहा कि मै इसे ठिकाने लगा दूँगा तो उसने तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर मुझे दे दिया और मै इसे ठिकाने लगाने के लिए ही जा रहा था। जबकि अभि0 पीयूष उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.01.2026 को मेरे भाई कुलदीप की रेस्टोरेन्ट मे हुयी लड़ाई को लेकर मैने अपने भाई कुलदीप के कहने पर तमंचे से फायर कर दिया था। और फायर करने के बाद वह तमन्चा अपने भाई कुलदीप को छिपाने को दे दिया था और खोखा कारतूस मैने वहीँ झाडियों में फेंक दिया था यही खोखा जो मैने घटना स्थल पर जाकर बरामद कराया है, यह दिनांक 25.01.2026 को जो मैने फायर तमंचे से किया था वही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना रोजा पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार,
2. उ0नि0 श्री अभिषेक,
3. उ0नि0 श्री सागर गौतम,
4. हे0का0 693 विनोद कुमार ,
5. हे0का0 517 नरेश कुमार,
6. हे0का0 673 महकार सिंह।